विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2018/438 दिनांक : 5/2/18

प्रति,

प्राचार्य,
शांति निकेतन महाविद्यालय,
हनुमान मंदिर रोड़,अकोदिया मंडी,
जिला–शाजापुर।

विषय : विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता–निरंतरता प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :– महाविद्यालय का पत्र क्रमांक/क्यू.1,दिनांक 10.09.2016 एवं सम्बद्धता आवेदन क्रमांक 117,दिनांक 10.09.2016

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत में नवीन संकाय/नवीन विषय/सीट संख्या वृद्धि की जाने/संबद्धता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण दिनांक 12.09.2017 को किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को **विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 17.11.2017** में प्रस्तुत किया गया,जिसमें निर्णय लिया गया कि,शांति निकेतन महाविद्यालय,अकोदिया मण्डी,जिला–शाजापुर में सत्र 2015–16 से बी.एससी.–द्वितीय वर्ष(बॉटनी)अति.विषय,एवं सत्र 2016–17 से बी.एससी.–तृतीय वर्ष(बॉटनी,माईक्रोबॉयोलॉजी)अति. विषय की सम्बद्धता प्रदान करने हेतु तथा सत्र 2017–18 से बी.ए.,बी.कॉम.एवं बी.एससी.पाठ्यक्रम की सम्बद्धता–निरंतरता प्रदान करने हेतु महाविद्यालय को पूर्व जारी की गई सम्बद्धता एवं सम्बद्धता–निरंतरता के पत्रों का अवलोकन उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसानुसार महाविद्यालय को उपरोक्त आवेदित पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता एवं सम्बद्धता–निरंतरता प्रदान की जाये।"

उक्त बैठक के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय को निम्न विवरणानुसार शर्तो के अधीन कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में नितांत अस्थाई सम्बद्धता/सम्बद्धता–निरंतरता प्रदान की जाती है :–

क्रं.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01.(A)	बी.एससी.–द्वितीय एवं तृतीय वर्ष (बॉटनी) अति.विषय	30–30 (सत्र 2015–16 एवं 2016–17) **सम्बद्धता**
(B)	बी.एससी.–तृतीय वर्ष (माईक्रोबॉयोलॉजी) अति.विषय	30 (सत्र 2016–17) **सम्बद्धता**
02.	बी.ए.,(प्लेन/कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन)	60(सत्र 2017–18) **सम्बद्धता–निरंतरता**
	बी.कॉम.,(प्लेन/कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन)	60(सत्र 2017–18) **सम्बद्धता–निरंतरता**
	बी.एससी.(भौतिक,गणित,रसायन,कम्प्यूटर विज्ञान)	60(सत्र 2017–18) **सम्बद्धता–निरंतरता**
	बॉटनी, माईक्रोबॉयोलॉजी)	30(सत्र 2017–18) **सम्बद्धता–निरंतरता**

शर्ते :–

01. परिनियम क्रमांक 28 के अन्तर्गत शिक्षकों का चयन करावें।
02. पुस्तकालय क व्यवस्था करें।
03. सुविधा घर संतोषजनक नहीं है। सुविधा घर का उन्नयन करावे।
04. खेल के मैदान की व्यवस्था करें।
05. प्रयोगशालाओं का उन्नयन आवश्यक है।

आदेशानुसार

कुलसचिव

निरंतर...02